प्रेस नोट जनपद फतेहपुर
दिनांक 23.09.2025

पुलिस मुठभेड़

थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा गत रात्रि चेकिंग दौरान अंतर्जनपदीय अवैध शस्त्र तस्कर 25 हजार रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त सहयोगी दो अभियुक्तों सहित चोरी की मोटर साइकिल व नाजायज तमंचा/कारतूस के गिरफ्तार। अभियुक्त की निशादेही पर छिपाये गये अवैध शस्त्र/कारतूस की बरामदगी दौरान पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त घायल/गिरफ्तार एवं अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद।

संक्षिप्त विवरण- थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा गत रात्रि थाना क्षेत्र अंतर्गत औगासी पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग दौरान चोरी की मोटर साइकिल से लूट के अभियोग में वांछित/इनामिया अभियुक्त को दो सहयोगी अभियुक्तों के साथ फतेहपुर की तरफ से बांदा की तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुयी। सूचना के क्रम में पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग के क्रम में दो मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को देखकर मुखबिर द्वारा पुष्टि उपरांत पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रोकने के प्रयास पर मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस को देख कर तेजी से मोड़कर भागने दौरान अनियंत्रित होकर गिर गये जिन्हें पुलिस टीम द्वारा मौके से गिरफ्तार कर नाम पता पूछने पर नाम पता क्रमशः 1. फईम उर्फ राजू पुत्र फरीद खां निवासी निमनीपार थाना कोतवाली जनपद बांदा उम्र करीब 36 वर्ष 2. हेशाम शेख उर्फ हासिम पुत्र रफीख निवासी सिरसाल थाना रानी का सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 3. अब्दुल पुत्र स्व0 सफीख निवासी निमनीपार थाना कोतवाली जनपद बांदा उम्र करीब 25 वर्ष बताया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल, 05 अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद पिस्टल 32 बोर एवं 09 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व 01 खोखा कारतूस 32 बोर आदि बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ पर अभियुक्त हेशाम शेख उर्फ हासिम द्वारा बताया गया कि उसने कुछ असलहे औगासी पुल के पास छिपाकर रखा है। जिसकी बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष गाजीपुर मय टीम के अभियुक्त हेशाम शेख उर्फ हासिम को साथ लेकर औगासी पुल के पास पहुंचे कि अभियुक्त हेशाम शेख द्वारा छिपाये स्थान से तमंचा निकालते हुये पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से लक्ष्य कर फायर करते हुये भागने का प्रयास किया कि पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जबावी फायरिंग में अभियुक्त हेशाम शेख उर्फ हासिम के बाये पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र गाजीपुर भेजा गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घटना स्थल से 03 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी सहित पुलिस मुठभेड़ की घटना के संबंध में स्थानीय थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्यः- 1. अभियुक्त फईम उर्फ राजू थाना जाफरगंज अंतर्गत वर्ष 2017 में डकैती के पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पताः--

1. फईम उर्फ राजू पुत्र फरीद खां निवासी निमनीपार थाना कोतवाली जनपद बांदा उम्र करीब 36 वर्ष
2. हेशाम शेख उर्फ हासिम पुत्र रफीख निवासी सिरसाल थाना रानी का सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष **(घायल)**
3. अब्दुल पुत्र स्व0 सफीख निवासी निमनीपार थाना कोतवाली जनपद बांदा उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1. 08 अदद देशी तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर
3. 10 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
4. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
5. 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर
6. 04 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर
7. 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल
8. 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
9. 03 एटीएम, 02 पैनकार्ड, 01 आधार कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 01 की-पैड मोबाइल, 02 एंड्रोइड मोबाइल

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. **अभियुक्त फईम उर्फ राजू-**
    - मु0अ0सं0 226/25 धारा 317(2)/336(2)/340(2) बीएनएस व 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर ।
    - मु0अ0सं0 148/17 धारा 394/395/397/412 भादवि थाना जाफरगंज, फतेहपुर।
    - मु0अ0सं0 73/18 धारा 174 ए भादवि थाना जाफरगंज, फतेहपुर ।

2. **अभियुक्त** हेशाम शेख उर्फ हासिम

- मु0अ0सं0 96/21 धारा 379/411 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
- मु0अ0सं0 151/21 धारा 201/302/307/34/394/411/413/414 भादवि व 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
- मु0अ0सं0 172/21 धारा 307/411/413/414 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
- मु0अ0सं0 173/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
- मु0अ0सं0 363/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
- मु0अ0सं0 458/24 धारा 109 बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
- मु0अ0सं0 459/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 226/25 धारा 317(2)/336(2)/340(2) बीएनएस व 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

3. **अभियुक्त अब्दुल**

- मु0अ0सं0 226/25 धारा 317(2)/336(2)/340(2) बीएनएस व 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

1. थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार मौर्य थाना गाजीपुर, फतेहपुर।
2. उ0नि0 श्री हिमांशु सिंह
3. उ0नि0 श्री विशाल यादव
4. हे0का0 अरविंद कुमार
5. हे0का0 वेदमणि
6. का0 ललित मिश्रा
7. का0 कुन्दन यादव
8. का0 नवल परिहार

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर